

06.10.2022:—आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त पत्रावली को नोट प्रेश मे खारिज करने का निवेदन किया प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की प्रार्थी अधिवक्ता के नोट प्रेश मे खारिज किये जाने के निवेदन पर पत्रावली को नोट प्रेश मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तक सील दाखिल दफ्तर हो।



सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर

एवं उपखण्डाधिकारी

हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

